जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

134/15

A3/1

Gen. No. 13

अपील सूचना का अधिकार संख्या 134/2015 श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23के ब्लाक श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

19–01–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र सं0 5165 दिनांक 16.08.15 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> पत्रांक लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 1678 दिनांक 10.02.2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि मय इसके साथ सलंग्न बिन्दुवार 1 से 4 की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त सूचना अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है एडीएम सिटी के हस्ताक्षर नही है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं राज0 सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत प्रत्यर्थी के विरूद्ध 25000रूपये हर्जाना लगाया लगाया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से टिप्पणी चाहे जाने पर उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए लिखा जाकर इस न्यायालय को भी सूचित करने के लिए लिखा जाकर प्रति जरिये पत्र सं0 1958 दिनांक 16.09.2015 से इस कार्यालय को भी प्रेषित की है। जिस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने प्रतिवेदन सं0 1810 दिनांक 06.10.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना पत्र सं0 1659 दिनांक 28.08.2015 द्वारा प्रार्थी को पंजीकृत डाक द्वारा समय पर उपलब्ध करवा दी गई है अतः अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 1659 दिनांक 28.082015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

कलेक्टर
गंगानगर

134/15
A3/2

> आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2015 द्वारा निम्नलिखित सूचना चाही है:–
> आपके प्रार्थना पत्र में वर्णित पत्रांक लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजि0 (प्रशासन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 1678 दिनांक 10.02.2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि मय इस के साथ सलंग्न बिन्दुवार 1 से 4 की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि
> आप द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित पत्रांक 1678 दिनांक 10.02.2009 व इसके सलंग्न पत्र की छाया प्रति प्रमाणित कर भिजवाई जा रही है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर के उपरोक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2015 द्वारा जो सूचना चाही थी वह उसके चाहे अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 1659 दिनांक 28.08.2015 से पत्र सं0 1678 दिनांक 10.02.09 एवं सलंग्न 4 बिन्दुओ की सूचना प्रमाणित कर अपीलार्थी को समय अवधि में भिजवाई जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर